इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चॉंदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर
INDORE SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT, INDORE (MP)
Phone : 0731-2802554/2806350 Fax No. 0731- 2802559/2806221
I.S.D.S

No-पत्र क्र. 1477 / क्षें.सं. / T-3(V)/ इसदुसं / 2026 दिनांक 01 JUN 2026

दुग्ध संकलन परिवहन एवं कार्यालयीन कार्य हेतु बोलेरो जीप वाहन ई-निविदा सूचना

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के विभिन्न दुग्ध संयंत्र / दुग्ध शीतकेन्द्रों व बीएमसी से संलग्न दुग्ध संकलन मार्गो, जिला इन्दौर, धार व देवास हेतु दिनांक 01.08.2026 से 31.07.2029 अवधि तक के लिए Online ई-निविदा के माध्यम से बिड आंमत्रित की जाती है। निविदा स्वीकृत होने पर निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य सन्तोषप्रद होने एवं वाहनो की स्थिति संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक-एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी। वाहन मॉडल 2021 या उसके बाद का होना चाहिए।

क्र	दुग्ध संयंत्र/शीतकेन्द्र एवं संबंधित का नाम जिनके लिए वाहन/समकक्ष वाहन की आवश्यकता है।	मार्गो पर आमंत्रण क्र.	मार्ग संख्या	ई-निविदा प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक/ समय	ई-निविदा अंतर्गत अनुबंध अवधि	तकनीकी बिड खोलने का दिनांक/ समय एवं स्थान
1	मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी प्लाण्ट/शीतकेन्द्र :- RMRD/चापड़ा/फूलगावड़ी/आम्बुआ/ बड़वानी/ खरगोंन से संबंधित मार्ग	द्वादश आमंत्रण	12	दिनांक 26.06.2026 दोपहर 03:00 बजे तक	दिनांक 01.08.2026 से 31.07.2029	दिनांक 29.06.2026 दोपहर 04:00 बजे, कार्यालय इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या. मांगलिया, इन्दौर
2	मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी प्लाण्ट/शीतकेन्द्र :- खरगोन से संबंधित मार्ग	अष्टम आमंत्रण	02			
3	मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी प्लाण्ट/शीतकेन्द्र :- RMRD से संबंधित मार्ग	पंचम आमंत्रण	01			
4	मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी प्लाण्ट/शीतकेन्द्र :- RMRD से संबंधित मार्ग	तृतीय आमंत्रण	01			
5	मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी प्लाण्ट/शीतकेन्द्र :- RMRD/सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कन्नौद, फूलगावड़ी, पेटलावद, झाबुआ, खण्डवा, बड़वानी, खरगोन से संबंधित मार्ग	द्वितीय आमंत्रण	17			
6	मुख्य संयंत्र/मिनी डेयरी प्लाण्ट/शीतकेन्द्र :- RMRD/सोनकच्छ, देवास, चापड़ा, बुरहानपुर ,फूलगावड़ी, पेटलावद, झाबुआ, बड़वाह, खण्डवा, बड़वानी, दूधी, खरगोन, सेंधवा से संबंधित मार्ग	प्रथम आमंत्रण	26			
7	जिला इन्दौर, धार व देवास अंतर्गत कार्यालयीन कार्य हेतु	प्रथम आमंत्रण	03			

1. वाहन हेतु निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण (निविदा कार्यक्रम/मार्गो की विस्तृत जानकारी/अनुबंध की शर्ते/नियम) मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल की वेबसाईट www.sanchidairy.com व http://www.mptenders.gov.in पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगा।
2. निविदा में सम्मिलित होने के लिए निश्चित राशि के भुगतान उपरान्त ही ई-निविदा में भाग लिया जा सकेगा।
3. डिजीटल साईन हेतु मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक डवलपमेंन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल से टोल फ्री नम्बर **18002588684** पर संपर्क करें।

समस्त निविदाऐं या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/-

-: निविदा प्रपत्र :-

निविदा कार्यः-

1. इन्दौर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के जिला इन्दौर, देवास व धार के ग्रामों में भ्रमण कार्य, विपणन कार्य व कार्यालय संबंधी कार्य हेतु तीन वर्ष के लिए बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन की ई-निविदा।

ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	: **26.06.2026**/दोपहर 03.00 बजे तक
ई-निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय	: **29.06.2026**/दोपहर 04.00 बजे तक
ई-निविदा खोले जाने का स्थान	:कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. मांगलिया इन्दौर,
पत्राचार हेतु पताः-	:मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या चॉदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

ANNEXURE I	**A**: निविदा शर्त (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)
ANNEXURE II	**A**: अनुबंध पत्र (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)
ANNEXURE III	**A**: फार्म - A (बोलरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)
ANNEXURE IV	**A**: भाव पत्र (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

ANNEXURE I

बोलरों जीप/समकक्ष वाहन संचालन हेतु नियम एवं शर्त

1. बोलरों जीप/समकक्ष वाहन मॉडल वर्ष 2021 अथवा उसके बाद का होना चाहिए।
2. वाहन प्रथमतः तीन वर्ष हेतु चलाई जावेगी, तत्पश्चात नियमानुसार आपसी सहमति के आधार पर अनुबंध अवधि में एक–एक वर्ष कर कुल 02 वर्ष की वृद्धि समान दरों एवं समान शर्तो पर की जा सकेगी।
3. वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगें।
4. निविदाकार को ई–निविदा भरने के समय राशि रू. 10000/– धरोहर राशि के रूप में **MP Tenders** को **Online** जमा करने होगें।
5. निविदाकार द्वारा ई–निविदा में प्रस्तुत परिवहन दर समस्त शासकीय व अशासकीय टोल सहित प्रस्तुत करना होगी।
6. वाहन मालिक/ठेकेदार या नियुक्त ड्रायवर के पास वैधानिक ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।
7. वाहन माह में अनुमानित 2500 तक कि.मी. चलाई जावेगी।
8. निविदाकार को ई–निविदा बिड प्रस्तुत करते समय अपने वाहन के समस्त दस्तावेज ऑनलाईन संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि आवश्यक दस्तावेज ऑनलाईन संलग्न नहीं किये जाते है तो निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
9. यदि निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन नहीं है एवं नया वाहन क्रय कर संघ में वाहन चलाना चाहता है तो उसे निविदा पत्र फार्म A के साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड/बीमा की छायाप्रति संलग्न करने से छूट रहेगी।
10. निविदा स्वीकृति पश्चात् वाहन मालिक को अनुबंध अवधि की दिनांक के 02 दिवस पूर्व यदि नया वाहन स्वीकृत किया गया हो तो वाहन क्रय कर बिल की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रस्तुत करना होगी एवं कार्य आदेश के पश्चात राशि रू. 1000/– के **Non Judicial Stamp** पर नोटराईज्ड अनुबंध 15 दिवस में संघ कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर संघ में आनलाईन जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. निविदा स्वीकृति पश्चात वाहन में समस्त बैध कागजात, रजिस्ट्रेशन पेपर, बीमा, परमिट, चालक का ड्राइविंग लाईसेंस रखना अनिवार्य होगें। एक प्रति कार्यालय में भी जमा करनी होगी।
12. जीप वाहन टेक्सी परमिट का होना अनिवार्य है।
13. निविदा स्वीकृति पश्चात मांगे जाने पर 3 दिवस में वाहन उपलब्ध कराना होगा।

14. वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी से कि.मी. सत्यापित कर हस्ताक्षर करवाना होगें।

15. वाहन में लगने वाले डीजल/ऑईल एवं अन्य किसी कारण हेतु संघ से किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

16. वाहन का माह में उपयोग उपरान्त आगामी माह की 3 तारीख तक देयक संघ कार्यालय में जमा करना होगा। जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा। यदि देयक विलम्ब से प्रस्तुत होता है तो उसका भुगतान विलम्ब से होगा।

17. प्रथम देयक के साथ पेन कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं Declaration Form (TDS) भरकर संलग्न करना अनिवार्य है। Declaration Form अप्राप्त होने की स्थिति में TDS राशि का कटोत्रा देयक से किया जावेगा।

18. निविदा स्वीकृति पश्चात् वाहन मालिक को संघ द्वारा जिस वाहन की मांग की गई है, उसी वाहन के दस्तावेज संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे ऐसा नहीं करने की स्थिति में निविदा निरस्त कर संघ में जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

19. वाहन लगने के पश्चात डीजल दरों में वृद्धि/कमी होने पर जीप का औसत 12 कि.मी. प्रतिलीटर के आधार पर दरों में वृद्धि/कमी उसी दिनांक से की जावेगी।

20. वाहन मालिक द्वारा किन्ही कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन राशि रू. 1000/– की दर से पेनल्टी की जावेगी।

21. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंध अवधी के पूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी एवं संघ द्वारा भी एक माह का अग्रिम नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बन्द किया जा सकेगा।

22. निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा अमानत पेटे रू. 20000/– प्रति वाहन संघ में जमा करना अनिवार्य होगें, जो वाहन बन्द होने के पश्चात् बिना ब्याज के वापस की जावेगी।

23. कोई घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की रहेगी।

24. किसी संस्था द्वारा यदि समस्त जीप (कुल संख्या 2) एक साथ उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी संस्था को वरीयता दी जा सकेगी।

25. वाहन ठेकेदार द्वारा यदि किसी भी नियम व शर्तो का उल्लघंन किया जायेगा तो वाहन ठेकेदार की जमा सुरक्षा अमानत राशि जब्त की जावेगी।

26. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा की किसी एक निविदा या समस्त निविदा को निरस्त कर दे।

27. यदि निविदाकार द्वारा कार्यादेश जारी करने के पश्चात् भी स्वीकृत अवधि से वाहन संचालित नहीं किया जाता है तो निविदाकार की निविदा निरस्त कर ऑनलाईन जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

E/Fild/Tender bolero jeep 04.03.2024

ANNEXURE - II (बोलरों जीप / समकक्ष वाहन)

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर एवं बोलरों जीप / समकक्ष वाहन निविदाकार के मध्य किये जाने वाला अनुबंध

अनुबंधकर्ता का फोटो

1000/–रू. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (निविदाकार / निविदाकार संस्था) श्री / श्रीमती .... निवासी .... एवं उत्तराधिकारी श्री / श्रीमती .... है एवं द्वितीय पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं।

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यक्षेत्र एवं देवास / धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम पक्षकार के जीप / समकक्ष वाहन / डीजल कार जिसका पंजीयन कमांक .... है, से द्वितीय पक्षकार (इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर) द्वारा निर्धारित समय हेतु आवेदन किया है एवं द्वितीय पक्षकार ने इससे आगे लिखे गये निबन्धनों एवं शर्तो पर प्रथम पक्षकार का आवेदन दर रू. .... (अक्षरी रू. ....) प्रतिकिमी पर अग्रलिखित शर्तो के अनुसार अनुबन्ध किया जाता है।

1) यह ठेका अवधि दिनांक .... से दिनांक .... तक प्रभावशील रहेगी।
2) इन शर्तो को जीप / समकक्ष वाहन / डीजल कार परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा। शर्तो में जहॉ–जहॉ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर माना जावेगा।
3) प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री / श्रीमती / कुं. .... संबंध .... उम्र .... पूर्ण होंशो हवास में में नामांकित घोषित करता हूँ। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री / श्रीमती / कुं. .... को संघ से व्यवहार करने का अधिकार होगा। इसकी स्वीकृति हेतु वारिस के हस्ताक्षर करवाकर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से देगा।
4) वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तर दायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा, यदि डीजल के अभाव में वाहन नहीं भेजा जाता है अथवा विलम्ब से भेजा जाता है तो नुकसानी के लिए प्रथम पक्ष जवाबदार होगा। ईधन के रूप में केवल डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा।
5) मार्गो अंतर्गत लगने वाले समस्त शासकीय व अशासकीय टोल–टेक्स व फास्टेग का अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।
6) संघ अधिकारियों के अलावा वाहन में अन्य कोई सवारी नहीं बिठाई जावेगी।
7) वाहन चालक के लिए प्रथम पक्ष द्वारा जो चालक नियुक्त किया जावेगा उसे संघ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करना होगा तथा उसके अवैधानिक कृत्यों के लिए संघ जवाबदार नहीं होगा।
8) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रखना होगा। खराब होने पर 24 घण्टे में प्रथम पक्ष द्वारा उसे सुधरवाया जावेगा।
9) संघ में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति / पत्नि / पुत्र / पुत्री / सगे भाई–बहन नहीं है, यह कथन प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। यदि जांच के दौरान कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अनुबंध निरस्त करने कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

10) स्वीकृत दरें अनुबंध अवधि तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंधित दरों में कमी/वृद्धि की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना 12 किमी प्रति लीटर के औसत आधार पर की जावेगी।

11) अनुबंधित वाहन का ड्रायवर प्रथम पक्ष का निजी कर्मचारी होगा तथा इनका कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या अन्य कोई अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इसका रिकार्ड का लेखा जोखा प्रथम पक्ष को ही रखना होगा।

12) प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के 15 दिवस में स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की स्वसत्यापित छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करना होगी, तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्रवाई द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।

13) प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिभूति अमानत पेटे संघ में कुल रू. 20000/– प्रति वाहन जमा कराने होगें, जो अनुंबध समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

14) प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे, जिससे अनुरक्षण के अभाव में खराबी उत्पन्न नहीं हो।

15) वाहन मालिक द्वारा अनुबंध अवधि में स्वीकृत वाहन ही संचालित किया जावेगा यदि स्वीकृत वाहन में खराबी होती है तो तत्काल समान क्षमता का वाहन उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी।

16) प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो का लगातार उल्लंघन करने या कार्य असंतोषजनक करते रहने तथा आदेशों का पालन नहीं करने की दशा में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा वह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करले, इसके अतिरिक्त इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूली जा सकेगी।

17) वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगें।

18) वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।

19) वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी से कि.मी. सत्यापित करवाकर हस्ताक्षर करवाना होगें।

20) वाहन में लगने वाले डीजल/ऑईल हेतु संघ से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

21) वाहन का देयक आगामी माह की 3 तारीख तक जमा करना होगा, जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा।

22) प्रथम देयक के साथ पेन कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायप्रति एवं Declaration Form (TDS) भरकर संलग्न करना अनिवार्य हैं Declaration Form अप्राप्त होने की स्थिति में TDS राशि का कटोत्रा देयक से किया जावेगा।

23) देयक से कटोत्रा किये गये टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त में प्रदान किया जावेगा।

24) वाहन मालिक द्वारा किन्ही कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन रू. 1000/– की दर से पेनल्टी की जावेगी।

25) यदि वाहन मालिक द्वारा समयपूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में संपादित अनुबंध निरस्त कर संघ में जमा सुरक्षा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

26) प्रथम पक्ष द्वारा (वाहन ठेकेदार) यदि किसी भी अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन किया जायेगा तो संपादित अनुबंध निरस्त कर जमा सुरक्षा अमानत राशि जब्त की जावेगी।

27) किसी भी विवाद की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा।

28) मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा की वे एक माह पूर्व अग्रिम सूचना देकर संपादित अनुबंध को निरस्त कर दें।

द्वितीय पक्ष **प्रथम पक्ष**

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता ....

नाम ....

पिता/पति का नाम ....

पता ....

दूरभाष क्रं. ....

मोबाईल नम्बर ....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

अनुबंधकर्ता के जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर ____________________

01. नाम ____________________

पता ____________________

मो0 नं. ____________________

आई.डी. प्रूफ ____________________

02. नाम ____________________

पता ____________________

मो0 नं.____________________

आई.डी. प्रूफ ____________________

अनुबंधकर्ता के गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर ____________________

01. नाम ____________________

पता____________________

मो0 नं.____________________

आई.डी. प्रूफ ____________________

02 नाम____________________

पता____________________

मो0 नं.____________________

आई.डी. प्रूफ ____________________

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

ANNEXURE III

–:: बोंलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु निविदा पत्र ::–

फार्म – A

फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

विषय :– जिला इन्दौर, देवास व धार में भ्रमण हेतु बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन लगाने बाबद।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित **ई–निविदा सूचना** अनुसार दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के इन्दौर, देवास व धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई–निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे संघ की समस्त शर्ते मान्य है। विस्तृत विवरण निम्नवत है–

1. वाहन ठेकेदार का नाम/निविदाकार संस्था का नाम ______________________
   पिता का नाम ______________________
   वारिस का नाम ______________________ उम्र ______ सम्बन्ध ______________
   पूरा पता ____
   मोबाईल नम्बर 1 ______________________ 2 ______________________
2. निविदा धरोहर प्रतिवाहन राशि रू. 10000/– (दस हजार रूपयें केवल) **MP Tenders** को ऑनलाईन जमा कर रिफ्रेंश नम्बर ______________________ सलंग्न है।
3. वाहन कं. ______________________ वाहन का प्रकार.______________
   वाहन की सवारी क्षमता ______________ माडल वर्ष.______________
4. जिले का नाम (जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है) ______________________
5. आयकर विभाग का पैन (PAN) नम्बर...
6. निविदा अवधि से एक वर्ष तक या संघ को आवश्यकता पडने पर मैं समान दर एवं समान शर्तों पर अवधि बढाने का अधिकार संघ को प्रदान करता हूँ।

टीप:– इस फार्म A को पूर्ण रूप से भरकर, **MP Tenders** को जमा राशि का रिफ्रेंश नम्बर, वाहन रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति Online ई–निविदा में जमा करे, अन्यथा प्रस्तुत ई–निविदा मान्य नहीं होगीं।

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

ANNEXURE - IV

(बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/-

–:: बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु भाव–पत्र ::–

निविदा दिनांक से तीन वर्ष हेतु

निविदाकार का नाम : ....

क्र.	जिले का नाम	वाहन का प्रकार (वर्ष 2021 एवं उसके बाद का मॉडल)	प्रति कि.मी. दर राशि रूपये
1	इन्दौर	बोलरो जीप/समकक्ष वाहन	
2	देवास	बोलरो जीप/समकक्ष वाहन	
3	धार	बोलरो जीप/समकक्ष वाहन	

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर